संख्याः 203 /xxxvi(2)/2008–120–एक(1)/04

प्रेषक,

आर0डी0पालीवाल,
सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-1

देहरादूनः दिनांक 28 नवम्बर, 2008

विषय– मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या– 1022/1989 ऑल इण्डिया जजेज एसोसिएशन एवं अन्य प्रति भारत संघ व अन्य में पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के कार्मिकों को उच्चीकृत वेतनमान, भत्ते/सुविधाएं प्रदान किया जाना ।

महोदय,

अधीनस्थ न्यायालयों के कार्मिकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में मा0 शेट्टी आयोग द्वारा की गई संस्तुतियों के क्रम में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) संख्या 1022/1989 ऑल इण्डिया जजेज एसोसियेशन एवं अन्य प्रति भारत संघ व अन्य में दिये गये आदेशों के अनुपालन में शासनादेश संख्या 181/XXXVI(2)/2008-120-एक(1)/2004 दिनांक 6–10–2008 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य में मा0 उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों/जिला न्यायालयों में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी एवं स्टैनोग्राफर ग्रेड–1 के पुराने वेतनमान को पुनरीक्षित करते हुए निम्नानुसार उच्चीकृत वेतनमान अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान (पुराना)	उच्चीकृत वेतनमान
1	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	रू 6500–200–10500/–	रू0 8000–275–13500/–
2	स्टैनोग्राफर ग्रेड–1 (पूर्व पदनाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश के वैयक्तिक सहायक)	रू06500–200–10500/–	रू0 7450–225–11500/–

2– यह उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 1–4–2003 से प्रभावी माना जायेगा ।

3– यह आदेश उक्त रिट याचिका में पारित होने वाले मा0 उच्चतम न्यायालय के अग्रेतर आदेश/अन्तिम निर्णय के अधीन होगें । जिन शर्तो के अधीन उच्च स्तर पर निर्णय के बाद उक्त वेतनमान पुनरीक्षित किया जा रहा है उन्ही के अनुसार प्रस्तर–1 में उल्लिखित रिट याचिका में अनुपालन आख्या मा0 उच्चतम न्यायालय में लगाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

4– उच्चीकृत वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों का प्रारम्भिक वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2, भाग–2–4 के मूल नियम 22 के नीचे दिये गये सम्परीक्षा निदेशों के प्रस्तर–4 के अनुसार निर्धारित किया जायेगा । पद धारकों को (उच्चीकृत वेतनमान में) वित्तीय नियम संग्रह–खण्ड–2, भाग–2–4 के मूल नियम–23(1) के अनुसार विकल्प देने की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी ।

5– उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–1638/XXVII(7)/2008 दिनांक 27 नवम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है ।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव,

संख्याः२०३६()/xxxvi(2)/2008–120–एक(1)/2004तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड ओबराय मोटर बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3– समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड ।
4– समस्त कुटुम्ब न्यायाधीश, उत्तराखण्ड ।
5– निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
6– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
7– वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 उत्तराखण्ड शासन ।
8– गार्ड फाईल /एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव,